[2008] 14 एस.सी.आर. 480

मुकुल महतो एवं अन्य

बनाम

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

(2001 की आपराधिक अपील सं. 862-863)

15 अक्टूबर, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत एवं डॉ. मुकुंदकम शर्मा, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860 – धारा 326 पठित धारा 34 – अभियुक्तों द्वारा लाठी और कुल्हाड़ी से मृतक पर हमला करना जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी घायल – विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति क्योंकि अभियोग स्थापित नहीं हुआ – तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा हमले के ढंग और आसपास के कारकों को ध्यान में रखते हुए धारा 326 पठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्धि – हस्तक्षेप – अभिनिर्धारितः आवश्यक नहीं – उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि घटना में अभियुक्तों की उपस्थिति और भागीदारी के संबंध में अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य विश्वसनीय और सत्य था – हमले के पीड़ित सामान्यतः वास्तविक अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे और निर्दोष अभियुक्त व्यक्तियों को झूठा फंसाएंगे – साथ ही सूचक का साक्ष्य काफी महत्वपूर्ण है – इसके अतिरिक्त, साक्षियों का परीक्षण करने वाले चिकित्सक का परीक्षण न किया जाना भी घातक नहीं है तथा आक्रमण के शस्त्र के कुल्हाड़ी होने पर भी कटा हुआ घाव का अभाव घातक नहीं है।

अभियोजन मामले के अनुसार, दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर, अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक का रास्ता रोका और उसे अपशब्द कहे। जब मृतक ने प्रतिवाद किया, अभियुक्त व्यक्तियों ने लाठी और कुल्हाड़ी से मृतक पर हमला किया। चीखें सुनकर, सूचक और अभियोजन साक्षी-3, अभियोजन साक्षी-8, अभियोजन साक्षी-7 अपने घर से मृतक को बचाने के लिए दौड़े और उन पर भी हमला किया गया। तीन ग्रामीणों ने घटना को देखा। मृतक और घायल

अभियोजन साक्षियों को चिकित्सालय ले जाया गया। दो दिन बाद, मृतक की अपनी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। प्राथमिकी दर्ज की गई। अन्वेषण किया गया। अभियुक्तों पर भा.द.सं. की धारा 302 पठित धारा 34 के अंतर्गत आरोप लगाया गया। विचारण न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त किया क्योंकि अभियोग स्थापित नहीं हुए थे। तथापि, उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति को अपास्त किया और अभियुक्तों को भा.द.सं. की धारा 326 पठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया और चार वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश अधिरोपित किया। अभियुक्त डी को भा.द.सं. की धारा 324 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया और एक वर्ष के कारावास का दंडादेश दिया गया। अतः वर्तमान अपीलें।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: उच्च न्यायालय ने अभियोजन साक्षी 3, 7 और 8 के साक्ष्य का संदर्भ दिया है। यह इंगित किया गया है कि जिस चिकित्सक ने प्रारंभ में इन साक्षियों और मृतक का परीक्षण किया था, उसका विचारण के दौरान परीक्षण नहीं किया गया है। चूँकि मानव वध जनित मृत्यु को विवादित नहीं किया गया है, चिकित्सक का परीक्षण न किया जाना घातक नहीं है। एक अन्य दलील जिसे विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था, वह हमले का हथियार कुल्हाड़ी होने पर कर्तित घाव का अभाव था। साक्षियों ने लाठी के उपयोग के बारे में भी कहा था। यह भी ध्यान दिया जाना है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है कि कुल्हाड़ियाँ जो सामान्यतः गाँवों में पेड़ों और शाखाओं को काटने के लिए उपयोग की जाती हैं, वे तलवार या चाकू की तरह उतनी तेज नहीं होती हैं और जब सिर पर उपयोग की जाती हैं, तो विदीर्ण चोटें भी कारित कर सकती हैं। [कंडिका 6] [485-बी-सी-डी]

च. मधुसूदन रेड्डी बनाम आंध्रा प्रदेश राज्य, जो 1994 एस.सी.सी. (आपराधिक) 275 में प्रतिवेदित किया गया है – संदर्भित।

1.2 भले ही साक्षियों को कोई चोटें कारित नहीं हुई थीं, तथापि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में उनका संस्करण यदि विश्वसनीय और सारवान है, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है

और उस पर कार्रवाई की जा सकती है और इस आधार पर उनके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है कि जिस चिकित्सक ने उनकी चोटों का परीक्षण किया था, उसका परीक्षण नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि घटना में अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति और भागीदारी के संबंध में अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य विश्वसनीय और सत्य है। हमले के पीड़ित सामान्यतः वास्तविक अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे और निर्दोष अभियुक्त व्यक्तियों को झूठा फंसाएंगे। उनका साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मृतक उस स्थान पर घायल अवस्था में पड़ा था जहाँ अभियुक्त व्यक्ति उपस्थित थे और उन्होंने अभियोजन साक्षी 3, 7 और 8 पर हमला किया जब वे उसे बचाने के लिए गए। साक्ष्य के संदर्भ में, उच्च न्यायालय द्वारा यह ध्यान दिया गया है कि मृतक और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अभियोजन साक्षी 3, 7 और 8 का साझा घर बहुत कम दूरी पर है और यह काफी स्वाभाविक है कि चीखें सुनकर वे घटना स्थल पर दौड़े। इसके अलावा, अभियोजन साक्षी-10 सूचक का साक्ष्य काफी महत्व का है। उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है कि उनके कथन में कुछ अतिशयोक्ति थी, यद्यपि अभियोजन साक्षी 3, 7 और 8 के साक्ष्य के साथ उसे सावधानीपूर्वक पढ़ने से अभियोजन मामले का समर्थन होता है। [कंडिकाएं 7 और 8] [485-ई-एफ-जी]

1.3 उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ताओं को दोषी पाया। किंतु हमले के ढंग और आसपास के कारकों पर विचार करते हुए उन्हें भा.द.सं. की धारा 326 पठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया। उच्च न्यायालय का निर्णय हस्तक्षेप करने योग्य किसी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। [कंडिका 9] [486-बी]

वाद विधि संदर्भ

1994 एस.सी.सी. (आपराधिक) 275	संदर्भित	कंडिका 6

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2001 की आपराधिक अपील सं. 862-863

पटना उच्च न्यायालय, राँची पीठ, राँची के दिनांक 16.3.2000 के अंतिम निर्णय और आदेश से, 1990 की सरकारी अपील सं. 7 (आर) के साथ 1990 की दांडिक पुनरीक्षण सं. 61 (आर) में

डॉ. के.डी. प्रसाद, ए.एन. देव तथा सतीश विग अपीलकर्ताओं के लिए।

श्री राजेश पाठक तथा श्री बी.बी. सिंह उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय जिनके द्वारा सुनाया गया

डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति 1. इन अपीलों में चुनौती झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय को दी गई है, जिसने राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार किया और तद्द्वारा अपने समक्ष अभियुक्त-उत्तरदाताओं की दोषमुक्ति को अपास्त किया। सभी पाँच अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भा.द.सं.') की धारा 326 पठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया और चार वर्ष का कठोर कारावास भुगतने के लिए दंडादेशित किया गया। अभियुक्त दुर्गा को भा.द.सं. की धारा 324 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया और एक वर्ष का कारावास भुगतने के लिए दंडादेशित किया गया। सूचक द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका का भी निपटारा कर दिया गया। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, धनबाद, ने उन अभियुक्त व्यक्तियों की दोषमुक्ति का निदेश दिया था जो वर्तमान अपील में अपीलकर्ता सं. 1 से 5 हैं।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य निम्नलिखित हैं:

12.8.1984 को लगभग 7.30 बजे अपराह्न, जब सूचक अपने घर में सो रहा था, उसका भाई बिस्टु महतो (इसके बाद जिसे मृतक के रूप में संदर्भित किया गया है) उसका बैल उधार लेने के लिए उसके घर आया। जैसे ही मृतक सूचक के साथ बातचीत के बाद घर से बाहर आया, सभी पाँच अभियुक्तों ने उसका रास्ता रोका और उसे अपशब्द कहना शुरू कर दिया। मृतक ने प्रतिवाद किया और उनके साथ अपशब्दों का आदान-प्रदान किया, जिसके बाद, अभियुक्त व्यक्तियों ने लाठी और कुल्हाड़ी से मृतक पर हमला किया और उसे घायल कर

दिया। उसकी चीख सुनकर, सूचक और अन्य अर्थात् गोलक महतो (अभियोजन साक्षी-3), कीर्तन महतो, लक्ष्मण महतो (अभियोजन साक्षी-8) और जितु महतो (अभियोजन साक्षी-7) मृतक को बचाने के लिए अपने घर से दौड़े। लेकिन अभियुक्त व्यक्तियों ने उन्हें और साथ ही सूचक को भी लाठी और कुल्हाड़ी से विभिन्न रूप से हमला किया। जलेश्वर महतो, आसु महतो, सुफान मोदी (परीक्षण नहीं किया गया) और कुछ अन्य ग्रामीणों ने भी घटना को देखा था।

आगे का अभियोजन मामला यह है कि मृतक जिसे सिर पर रक्तस्रावी चोट कारित हुई थी और अन्य घायल अर्थात् अभियोजन साक्षी 3, 7, 8 और कीर्तन महतो को ग्रामीणों की सहायता से ले जाया गया और उपचार के लिए राज्य औषधालय, बलियापुर में भर्ती कराया गया, जहाँ से मृतक और अभियोजन साक्षी-3 जिनकी स्थिति गंभीर थी, सिंदरी एफ.सी.आई. चिकित्सालय में स्थानांतरित कर दिए गए और दो दिनों के बाद मृतक ने उपचार के दौरान चिकित्सालय में घावों के कारण दम तोड़ दिया।

दर्ज कराई गई सूचना के आधार पर, अन्वेषण किया गया था। 15.8.1984 को मृतक की मृत्यु के बाद भा.द.सं. की धारा 341, 323 और 506 पठित धारा 34 के अंतर्गत वाद के पंजीकरण के अतिरिक्त भा.द.सं. की धारा 302 पठित धारा 34 के अंतर्गत आरोप जोड़ा गया था। अभियुक्त व्यक्तियों ने निर्दोष होने का तर्क दिया। यह कहा गया था कि अभियुक्त दुर्गा ने सूचक, मृतक, गोलक महतो (अभियोजन साक्षी-3), कीर्तन महतो, लक्ष्मण महतो (अभियोजन साक्षी-8) और एक नीतू महतो सहित 11 व्यक्तियों के विरुद्ध एक वाद संस्थित किया था। विचारण न्यायालय ने यह माना कि अभियोग स्थापित नहीं हुए थे। अभियुक्त व्यक्तियों की दोषमुक्ति के लिए दिया गया मुख्य कारण यह था कि अभियोजन साक्षी 1 और 2 अनुश्रुत साक्षी थे और अभियोजन साक्षी 4 और 6 मृतक के संबंधी हैं। उन्होंने घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा किया और प्राथमिकी में उद्धृत नहीं किए गए थे। अभियोजन साक्षी-8 एक घायल साक्षी था जिसने कहा था कि जब वह घटना स्थल पर पहुँचा, तो अभियुक्त

व्यक्तियों और अभियोजन पक्ष के अतिरिक्त कोई भी उपस्थित नहीं था और इसने अभियोजन साक्षी 4 और 6 के उस दावे को झुठला दिया कि उन्होंने वास्तविक हमले को देखा था। घायल व्यक्तियों में से एक किरण महतो का परीक्षण नहीं किया गया था और उसके परीक्षण न किए जाने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। अभियोजन साक्षी 3, 7, 8 और 10 का साक्ष्य पर्याप्त नहीं माना गया था यद्यपि उन्होंने चोटें कारित होने का दावा किया था। एक अन्य कारक जो विचारण न्यायालय के निर्णय का आधार बना, वह यह था कि साक्षी मृतक के निकट संबंधी थे।

3. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने निष्कर्षों को उलट दिया और दोषसिद्धि का निदेश दिया।

4. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलों के समर्थन में निवेदन किया कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील के मानदंडों को उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है। विचारण न्यायालय ने तथाकथित चश्मदीद साक्षियों अभियोजन साक्षी-3, अभियोजन साक्षी-4, अभियोजन साक्षी-6, अभियोजन साक्षी-7, अभियोजन साक्षी-8 और अभियोजन साक्षी-10 की विश्वसनीयता पर संदेह किया था, जो मृतक के रिश्तेदार थे। उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन साक्षी-10 के साथ अभियोजन साक्षी-3, अभियोजन साक्षी-7, अभियोजन साक्षी-8 के साक्ष्य के साथ-साथ अभियोजन साक्षी-4 और अभियोजन साक्षी-6 का साक्ष्य विश्वास प्रेरित करता है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दी गई दोषमुक्ति अनुचित थी। यह निवेदन किया गया है कि विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण था और, इसलिए, उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया है कि विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण असंधारणीय है। इस न्यायालय द्वारा रेखांकित मानदंडों को लागू करने के बाद भी उच्च न्यायालय का निर्णय किसी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।

6. उच्च न्यायालय ने अभियोजन साक्षी 3, 7 और 8 के साक्ष्य का संदर्भ दिया है। यह इंगित किया गया है कि जिस चिकित्सक ने प्रारंभ में इन साक्षियों और मृतक का परीक्षण किया था, उसका विचारण के दौरान परीक्षण नहीं किया गया है। चूँकि मानव वध जनित मृत्यु को विवादित नहीं किया गया है, चिकित्सक का परीक्षण न किया जाना घातक नहीं है। एक अन्य दलील जिसे विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था, वह हमले का हथियार कुल्हाड़ी होने पर कर्तित घाव का अभाव था। साक्षियों ने लाठी के उपयोग के बारे में भी कहा था। यह भी ध्यान दिया जाना है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है कि कुल्हाड़ियाँ जो सामान्यतः गाँवों में पेड़ों और शाखाओं को काटने के लिए उपयोग की जाती हैं, वे तलवार या चाकू की तरह उतनी तेज नहीं होती हैं और जब सिर पर उपयोग की जाती हैं, तो विदीर्ण चोटें भी कारित कर सकती हैं। (देखें च. मधुसूदन रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1994 एस.सी.सी. (आपराधिक) 275)

7. मामले को दूसरे कोण से देखा जा सकता है। भले ही उन्हें कोई चोटें कारित नहीं हुई थीं, फिर भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में उनका संस्करण यदि विश्वसनीय और सारवान है, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और उस पर कार्रवाई की जा सकती है और इस आधार पर उनके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है कि जिस चिकित्सक ने उनकी चोटों का परीक्षण किया था, उसका परीक्षण नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि घटना में अभियुक्त की उपस्थिति और भागीदारी के संबंध में अभियोजन साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय और सत्य है। हमले के पीड़ित सामान्यतः वास्तविक अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे और निर्दोष अभियुक्त व्यक्तियों को झूठा फंसाएंगे। उनका साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मृतक उस स्थान पर घायल अवस्था में पड़ा था जहाँ अभियुक्त व्यक्ति उपस्थित थे और उन्होंने अभियोजन साक्षी 3, 7 और 8 पर हमला किया जब वे उसे बचाने के लिए गए। साक्ष्य के संदर्भ में, उच्च न्यायालय द्वारा यह ध्यान दिया गया है कि

मृतक और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अभियोजन साक्षी 3, 7 और 8 का साझा घर बहुत कम दूरी पर है और यह काफी स्वाभाविक है कि चीखें सुनकर वे घटना स्थल पर दौड़े।

8. इसके अतिरिक्त, अभियोजन साक्षी-10 सूचक का साक्ष्य काफी महत्व का है। उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है कि उनके कथन में कुछ अतिशयोक्ति थी, यद्यपि अभियोजन साक्षी 3, 7 और 8 के साक्ष्य के साथ उसे सावधानीपूर्वक पढ़ने से अभियोजन मामले का समर्थन होता है।

9. उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ताओं को दोषी पाया। किंतु हमले के ढंग और आसपास के कारकों पर विचार करते हुए उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 326 पठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया। उच्च न्यायालय का निर्णय हस्तक्षेप करने योग्य किसी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।

10. अपीलें खारिज की जाती हैं।

एन. जे. अपीलें खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक, कार्यालयीय, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।